न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

3

अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.

संख्याः- 016/2025

धर्मपाल पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी चक 15 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

सुरेन्द्र पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी चक 15 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

केसराराम पुत्र मोहनलाल, जाति जाट निवासी चक 15 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

कानाराम पुत्र मोहनलाल, जाति जाट निवासी चक 15 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:वादीगण

<u>बनाम्</u>

कृष्णलाल पुत्र स्व0 मामराज पुत्र स्व0 कालूराम जाति जाट निवासी चक 15 आर.पी. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

कलावती पुत्री कृष्णलाल पत्नी दलीप जाति जाट निवासी धन्नासर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

पूजा पत्नी नरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री मामराज पुत्र स्व0 श्री कालूराम जाति जाट निवासी 15 आरपी, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

मीरा पुत्री मोहनलाल पत्नी सुलतान जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

रेवन्ती पुत्री मोहनलाल पत्नी चेतराम जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

मन्जू पुत्री मोहनलाल पत्नी प्रमोद कुमार जाति जाट निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

जयमल पुत्र स्व0 श्री मामराज पुत्र स्व0 श्री कालूराम जाति जाट निवासी 15 आरपी, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

सुनील कुमार पुत्र जयमल जाति जाट निवासी 15 आरपी, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

समेस्ता पुत्री जयमल पत्नी पवन कुमार जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

बसन्ती पुत्री जयमल पत्नी हरिओम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

कान्ता पुत्री जयमल जाति जाट निवासी 15 आरपी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

पूनम पुत्री जयमल जाति जाट निवासी 15 आरपी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

शांति पत्नी हेतराम पुत्री मामराज जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

सजना पत्नी रामलाल पुत्री स्व0 मामराज जाति जाट निवासी बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

4

ोरा पत्नी लिच्छीराम पुत्री स्व0 मामराज जाति जाट निवासी बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

रमेश्वरी पत्नी महावीर पुत्री स्व0 मामराज जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील व व जिला हनुमानगढ़।

ूजा पत्नी रामकुमार पुत्री स्व0 मामराज जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

भजनलाल पुत्र स्व0 श्री सुरजाराम पुत्र स्व0 कालूराम जाति जाट निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

लिच्छों पत्नी रामकुमार पुत्री स्व0 सुरजाराम जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

संतो पत्नी जगदीश पुत्री स्व0 सुरजाराम जाति जाट निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

ओमप्रकाश पुत्र स्व0 सुरजाराम जाति जाट निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

सुरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश पुत्र स्व0 सुरजाराम जाति जाट निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

दौलतराम पुत्र ओमप्रकाश पुत्र स्व0 सुरजाराम जाति जाट निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

गायत्री पत्नी राजू पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी रामबाग तहसील महाजन जिला बीकानेर।

भंवरी पत्नी महेन्द्र कुमार पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी रामबाग तहसील महाजन जिला बीकानेर।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

-:प्रतिवादीगण

त :-

श्री विक्रम सिंह राठौड - अधिवक्ता वादीगण

श्री मदन गोदारा - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 26

राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 27

-:<u>निर्णय</u>:-

दिनांक 02.01.2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी यम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का क व पंजीबद्ध पता वाद-पत्र के शीर्षक में अंकितानुसार है। यह कि वादीगण सख्या 1 से 4 ता व दादी, प्रतिवादी संख्या 1 के स्वयं व माता व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता व दादी, दी संख्या 4 के स्वयं व माता, प्रतिवादीगण सख्या 5 से 7 के पिता व दादी, प्रतिवादी संख्या स्वयं, प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 के पिता व दादी, प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 18 की माता ई के नाम व प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 22 के पिता, प्रतिवादीगण सख्या 23 से 26 के के नाम निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है :-

चक 15 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 79/88 के पत्थर नंबर 139/376 (66) किला नंबर 16 ता 19, 20/2/0.228,

5

1/1/0.216, 22/2/0.053 कुल 1.509 हैक्टेयर, यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 8 स्वयं व माता स्व0 शुगनी के नाम दर्ज है।

क 15 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 39/143 के पत्थर नंबर 139/376 (66) किला नंबर 11/2/0.228, 12 से 15, 2/1/0.188, 23/2/0.081 कुल 1.509 हैक्टेयर। यह भूमि प्रतिवादी संख्या 19 ता 26 पिता, दादा के नाम दर्ज है।

ाम ऐटा तहसील सूरतगढ जमाबन्दी सम्वत् 2068-2071 के खाता संख्या 28/14 के ख़सरा नंबर 485/106 की 6.072 हैक्टेयर, यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 8 के वयं व प्रतिवादी संख्या 19 ता 26 के पिता व दादा सुरजाराम व हरीराम के नाम दर्ज है।

ग्राम ऐटा तहसील सूरतगढ जमाबन्दी सम्वत् 2068-2071 के खाता संख्या 29/376 के ख़सरा नंबर 427/83 की 7.894 हैक्टेयर, खसरा नंबर 442/83 की 4.187 हैक्टेयर, ख़सरा नंबर 445/84 की 5.819 हैक्टेयर, खसरा नंबर 449/85 की 11.714 हैक्टेयर, ख़सरा नंबर 450/86 की 7.590 हैक्टेयर, खसरा नंबर 453/94 की 4.554 हैक्टेयर कुल तादादी 41.758 हैक्टेयर, यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 8 के स्वयं व प्रतिवादी संख्या 19 ता 26 के पिता व दादा सुरजाराम व हरीराम के नाम दर्ज है।

ग्राम ऐटा तहसील सूरतगढ जमाबन्दी सम्वत् 2068-2071 के खाता संख्या 228/72 के खसरा नंबर 102/7 की 12.637 हैक्टेयर, खसरा नंबर 447/84 की 2.479 हैक्टेयर, खसरा नंबर 448/84 की 0.013 हैक्टेयर, खसरा नंबर 481/102 की 0.013 हैक्टेयर की कुल तादादी 15.142 हैक्टेयर, यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 8 के स्वयं व माता स्व0 शुगनी के नाम दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न वादपत्र है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 2 की उपचरण 'क' लगायत 'ड' में वर्णित कृषि भूमि सम्पति है। वादीगण की दादी शुगनी देवी का दिनांक 09.03.2022 को देहान्त हो चुका है। ीगण संख्या 1, 4, 8, 14, 15, 16, 17, 18 स्व0 शुगनी देवी के विधिक वारिस है। ण व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त कृषि भूमि का अच्छी मंदी के लिहाज से घराघरू बंटवारा राज से किया हुआ है। मुताबिक घरू बंटवारा शुगनी देवी के नाम चक 15 आरपी के खाता 79/88 की कृषि भूमि वादीगण संख्या 1 व 2 को 1/3 हिस्सा व वादीगण सख्या 3 व 4 /3 व प्रतिवादी सख्या 9 को 1/3 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई है। ग्राम ऐटा तहसील सूरतगढ के सं0 228/72 में शुगनी देवी के नाम 15.142 हैक्टेयर में से 1/9 हिस्सा प्रतिवादीगण 1, 4 व 8 को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है। मुताबिक घरू बंटवारा चक 15 आरपी के संख्या 139/143 की कृषि भूमि 1.509 हैक्टेयर जो कि सुरजाराम के नाम दर्ज राजस्व है, उक्त कृषि भूमि में से 0.759 हैक्टेयर भूमि वादीगण को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 19 ता 22 के पिता स्व0 सुरजाराम के नाम होने के कारण वादीगण के हक व अधिकारो पर कुठाराघात हो रहा है। चक 15 आरपी ल हनुमानगढ़ में वादीगण के पिता कृष्णलाल पुत्र मामराज व मोहनलाल पुत्र मामराज के दर्ज आराजी भी वादीगण को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है। वादीगण को घराघरू बंटवारा र निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि कब्जा काश्त में है :-

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 9 को घरू बंटवारा में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 15 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 7[illegible]/88 के पत्थर नंबर 139/376 (66) किला नंबर 16 ता 19, 20/2/0.228, 2[illegible]/1/0.216, 22/2/0.053 कुल 1.509 हैक्टेयर में वादीगण संख्या 1 व 2 को बहिस्सा

6

बराबर 1/3 हिस्सा, वादीगण संख्या 3 व 4 को बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 को 1/3 हिस्सा।

चक 15 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 139/143 के पत्थर नंबर 139/376 (66) किला नंबर 11/2/0.228, 12 से 15, 22/1/0.188, 23/2/0.081 कुल 1.509 हैक्टेयर में से वादीगण को पत्थर नंबर 139/376 (66) किला नंबर 14/0.253, 15/0.253, 22/1/0.172, 23/2/0.081 कुल 0.759 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि पर वादीगण वादी संख्या 9 काबिज काश्त है लेकिन यह कृषि भूमि स्व0 शुगनी व प्रतिवादीगण संख्या व 8 के नाम दर्ज होने से वादीगण के खातेदारी हकूको पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि घराघरू बंटवारा अनुसार वादपत्र की चरण संख्या 3 तानुसार ही कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 9 के कब्जा काश्त में है व इसी अनुसार ज व आबयाना अदा करता आ रहे है तथा उक्त भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण रकमराज व सींव, बट का तनाजा रहता है, इस कारण वादीगण इस आशय की घोषणा करने के अधिकारी है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 9 वादपत्र की चरण संख्या 3 में नुसार कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा चक 15 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ न्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 139/143 के पत्थर नंबर 139/376 (66) नंबर 11/2/0.228, 12 से 15, 22/1/0.188, 23/2/0.081 कुल 1.509 हैक्टेयर में दीगण को घरू बंटवारा में प्राप्त व कब्जा काश्त की पत्थर नंबर 139/376 (66) किला नंबर .253, 15/0.253, 22/1/0.172, 23/2/0.081 कुल 0.759 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर भूमि का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे वादपत्र की संख्या 3 में वर्णितानुसार कृषि भूमि की वादीगण व प्रतिवादी संख्या 9 के नाम घोषणा कर खाता तकसीम करवा देवे व चक 15 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 6-2079 के खाता संख्या 139/143 में से वादीगण को पत्थर नंबर 139/376 (66) नंबर 14/0.253, 15/0.253, 22/1/0.172, 23/2/0.081 कुल 0.759 हैक्टेयर बहिस्सा का खाता विभाजन करवा देवें लेकिन वे इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 26 परिवार के सदस्य होने व प्रतिवादी संख्या 27 रक होने के कारण पक्षकार बनाये गये है।

यह कि वादपत्र में वर्णित आराजी तहसील हनुमानगढ़ व आंशिक रूप से तहसील सुरतगढ़ स्थित है इसलिए वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व धिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादपत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न से डिक्री फरमाया जावें :-

कि घोषणा फरमाई जावें कि चक 15 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 79/88 के पत्थर नंबर 139/376 (66) किला नंबर 16 ता 19, 20/2/0.228, 21/1/0.216, 22/2/0.053 कुल 1.509 हैक्टेयर में वादीगण संख्या 1 व 2 को बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा, वादीगण संख्या 3 व 4 को बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 को 1/3 हिस्सा एवं चक 15 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 139/143 के पत्थर नंबर 139/376

कलक्टर
खण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

7

66) किला नंबर 11/2/0.228, 12 से 15, 22/1/0.188, 23/2/0.081 कुल 1.509 क्टेयर में से 0.759 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

के चक 15 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 79/88 के पत्थर नंबर 139/376 (66) किला नंबर 16 ता 19, 20/2/0.228, 21/1/0.216, 22/2/0.053 कुल 1.509 हैक्टेयर में वादीगण संख्या 1 व 2 को बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा, वादीगण संख्या 3 व 4 को बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 को 1/3 हिस्सा एवं चक 15 आर.पी. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 139/143 के पत्थर नंबर 139/376 (66) किला नंबर 11/2/0.228, 12 से 15, 22/1/0.188, 23/2/0.081 कुल 1.509 हैक्टेयर में से वादीगण संख्या 1 से 4 को पत्थर नंबर 139/376 (66) किला नंबर 14/0.253, 15/0.253, 22/1/0.172, 23/2/0.081 कुल 0.759 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर के खाता विभाजन की डिक्री प्रदत्त फरमाई जावे व इस आशय की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी ता 26 की ओर से अधिवक्ता मदन गोदारा उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 द्वारा जवाबदावा या गया। प्रतिवादी सं. 8 ता 13 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 पेश कर संसोधित दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 14 ता 18 द्वारा जवाब दावा पेश किया प्रतिवादी सं. 19 ता 21 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 22 ता 26 र से जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 4 द्वारा जवाब दावा मय ा अलग से पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 27/28 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। धर्मपाल आदि ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश कर तहसीलदार सूरतगढ को र बनाये जाने का निवेदन किया उभयपक्ष को सुनते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ी सं. 28 पर तहसीलदार सुरतगढ को वादशीर्षक संयोजित किया जाता है। वाद पत्र कोई नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति के दावा डिक्री किए जाने का ा किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया उचित प्रतीत होता है।

-:**<u>क्रियात्मक आदेश</u>**:-

अतः वाद वादीगण निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:- चक 15 आर.पी. ल हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 79/88 के पत्थर नंबर /376 (66) किला नंबर 16 ता 19, 20/2/0.228, 21/1/0.216, 22/2/0.053 कुल 1. हैक्टेयर में वादी संख्या 1 व 2 को बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 3 व 4 को ा बराबर 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सख्या 9 को 1/3 हिस्सा एवं चक 15 आर.पी. तहसील नगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 139/143 के पत्थर नंबर 139/376 किला नंबर 11/2/0.228, 12 से 15, 22/1/0.188, 23/2/0.081 कुल 1.509 हैक्टेयर 0.759 हैक्टेयर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। दी सं. 23-24 का हिस्सा ब.हि.ब- चक 15 आरपी खाता सं. 139/143 प.न. 139/376 66 कि0ल0 11/2/.228, 12/.253, 13/.253, 22/1/.016, कुल 0.750 हैक्टेयर। दी सं. 1, 4, 8 का ब.हि.ब हिस्सा:- ग्राम ऐटा तहसील सुरतगढ खाता सं. 278/72 में दर्ज ी 15.142 हैक्टेयर में से खातेदार सुगनीदेवी के नाम दर्ज 1/9 हिस्सा यानि 1.682 र। इसी अनुसार खातेदार सुगनी देवी का नाम कलमजन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से

तहसीलदार हनुमानगढ/सूरतगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर /आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय न्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से या जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

कबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मंगी लाल) RAS
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ